



**वित्तीय वर्ष 2023.24 GST रिटर्न फाईलिंग एवं वर्ष 2023.23 व 2023.24 इनकम टेक्स ऑडिट,
इनकम टेक्स रिटर्न फाईलिंग संबंधित**

शर्त:-

1. सीए को संस्थाएं एवं बैंक के जीएसटी रिटर्न फाईलिंग, इनकम टेक्स ऑडिट, इनकम टेक्स रिटर्न फाईलिंग का न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है।
2. नियुक्त चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट को निर्धारित समय पर वित्तीय वर्ष 2023.24 का GSTR9 एवं GSTR9C(ऑडिट), वर्ष 2023.23 व 2023.24 इनकम टेक्स ऑडिट, इनकम टेक्स रिटर्न फाईलिंग तथा वर्तमान वर्ष के प्रत्येक माह का GSTR1 एवं GSTR3-B फाईल करना अनिवार्य होगा।
3. रिटर्न फाईलिंग के पश्चात् फाईलिंग की एक प्रति बैंक मुख्यालय एवं एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. मुख्यालय और संस्था से फाईलिंग संबंधित डाटा प्राप्त होने के पश्चात् GST रिटर्न फाईल नही होने पर या फाईल होने पर कोई पेनल्टी रोपित होती है तो सनदी लेखाकार स्वयं जिम्मेदार होगा, अतः इस संबंध में चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के द्वारा पुर्व GST FILLING का TRACK रिकार्ड देखा जावेगा।
5. 10,000/-, अर्नेस्ट मनी के रूप में बैंक की मुख्य शाखा में जमा करना होगा।
6. सीए फर्म स्थापना का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
7. सीए फर्म को निविदा दिनांक पर पंजीयक कार्यालय म.प्र. राज्य शासन द्वारा जारी नवीनतम पेनल सूची में वर्गीकृत होना चाहिए।
8. सीए फर्म में कम से कम 3 FCA होना चाहिए।
9. सीए फर्म को जीएसटीआईएन रजिस्ट्रेशन की प्रति मुख्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
10. सीए फर्म का मुख्यालय/शाखा विगत तीन वर्षों से झाबुआ जिले में संचालित होना चाहिए।
11. सीए फर्म स्थापना व अन्य दस्तावेज स्व-प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए। यदि दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
12. संस्थाओं के जीएसटी रिटर्न फाईलिंग, इनकम टेक्स ऑडिट, इनकम टेक्स रिटर्न फाईलिंग कार्यों का 5 वर्षों का अनुभव आवश्यक है।

13. संस्थाओ के जीएसटी रिटर्न फाईलिंग, इनकम टेक्स ऑडिट, इनकम टेक्स रिटर्न फाईलिंग हेतु कोटेशन पृथक-पृथक प्रस्तुत करे।
14. बैंक के जीएसटी रिटर्न फाईलिंग, इनकम टेक्स ऑडिट, इनकम टेक्स रिटर्न फाईलिंग हेतु कोटेशन पृथक-पृथक प्रस्तुत करे।
15. कार्य पूर्ण होने पर मुख्यालय स्तर पर ही सनदी लेखाकार के बिल का भुगतान किया जायेगा।

NOTE:- समस्त शर्तों की स्वीकृति का सहमति पत्र नोटरी सत्यापित कर देना होगा।



07-09-2013